केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सं.सीबीएसई/परीक्षा नियंत्रक/परिपत्र/2023 दिनांक:02.08.2023

<u>सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के सभी प्रधानाचार्य</u>

विषय: अगले 3 वर्षों (अर्थात सत्र 2023-24, 2024-2025 और 2025-2026) में प्रति सेक्शन छात्र संख्या को 40 प्रति सेक्शन तक पुनः संरेखित करना।

संबद्धता उपविधि 2018 के अध्याय के खंड 4.8 के अनुसार:
"प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की अधिकतम संख्या 40 होगी। विद्यालय में कक्षाओं में प्रति बालक 1 वर्ग मीटर निर्मित फ्लोर क्षेत्र की उपलब्धता का होना सर्वथा आवश्यक है।"

वर्ष 2019 में, सभी स्कूलों को संबद्धता उपविधि के खंड 4.8 को सुनिश्चित करने के लिए स्मरण कराया गया था। हालाँकि, स्कूलों की समस्या को देखते हुए, सीबीएसई द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षा में सीधे प्रवेश होने की स्थिति में प्रति सेक्शन छात्रों की संख्या केवल 45 तक बढ़ाने की अनुमति दी गई है। कोविड की अवधि के दौरान, छात्र स्कूल छोड़ रहे थे, इसलिए, अधिकांश स्कूल छात्र संख्या मानदंड पूरा कर रहे थे। इस वर्ष यह बात सामने आई है कि स्कूलों ने सीबीएसई के निर्देशों का पालन नहीं किया और सामान्य तौर पर 45 या इससे अधिक तक दाखिले ले लिए गए हैं। स्कूलों ने सीबीएसई के निर्देशों के विपरीत सीधे दाखिले के बजाय सामान्य दाखिले दिए हैं।

- अब, जब स्थिति सामान्य हो गई है, तो स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबद्धता उपविधि 2018 के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक अनुभाग में अनुमत छात्रों की संख्या को पुन: संरेखित करने की आवश्यकता है। दिनांक 24.07.2023 के परिपत्र संख्या सीबीएसई/सीई/पीएस/कोऑर्ड/2023 का संदर्भ लिया जाए जिसमें सीधे प्रवेश के लिए कक्षा IX, XI और X, XII में प्रति सेक्शन छात्रों की संख्या क्रमशः 40 और 45 तक सीमित करने का उल्लेख किया गया है।
- सीबीएसई को हितधारकों से कोविड-19 महामारी जैसी असाधारण परिस्थितियों का हवाला देते हुए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि बड़ी संख्या में उम्मीदवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए क्योंकि परिवार अपने गृहनगर की ओर चले गए, विदेश में जैसे मध्य-पूर्व देशों में कार्यरत माता-पिता का अपने मूल स्थानों पर वापस चले जाना, आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र अपने परिवारों के पास वापस चले जाना आदि। इस अवधि के दौरान, स्कूलों को छात्रों की शिक्षा जारी रखने में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है।

इसके अतिरिक्त, स्कूलों में छात्रों की एक स्वाभाविक आगत रही है जिन्हें जूनियर कक्षाओं से उच्च कक्षाओं में प्रोन्नत किया गया था।

- उपरोक्त मुद्दे पर उचित विचार-विमर्श के बाद, बोर्ड ने पहले से ही विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए 3 वर्ष की अवधि (सत्र 2023-24, 2024-2025 और 2025-2026) के लिए प्रति सेक्शन छात्रों की संख्या 40 से 45 करने की छूट देने का निर्णय लिया है। यह अपेक्षा की जाती है कि स्कूल आगामी वर्षों में जूनियर कक्षाओं में प्रवेश को विनियमित करके संबद्धता उपविधि के अनुसार प्रत्येक सेक्शन में छात्रों के प्रवेश को युक्तिसंगत और प्रतिबंधित करेंगे।
- 3 वर्ष की इस अवधि (सत्र 2023-24, 2024-2025, 2025-2026) के दौरान, स्कूल छात्रों की संख्या को प्रति सेक्शन 40 छात्रों तक पुन: संरेखित करेंगे। स्कूलों से अपेक्षा की जाती है कि वे अगले 3 वर्षों (सत्र 2023-24, 2024-2025 और 2025-2026) में व्यवस्थित रूप से और धीरे-धीरे सभी सेक्शनों में संख्या को 40 के स्तर तक कम करें और बनाए रखें ताकि उपरोक्त नियम में उल्लिखित अनुपात का अक्षरशः पालन हो।
- यदि स्कूल उपविधि के अनुसार भूमि की उपलब्धता की अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वह अधिक छात्रों को समायोजित करने के लिए SARAS में सेक्शन की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन कर सकता है। स्कूलों की सुविधा के लिए, SARAS में सेक्शन वृद्धि आवेदन की अंतिम तिथि को 31 अगस्त, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
- यह दोहराया जाता है कि, इस अपवाद को तीन वर्ष के समय के बाद प्रति सेक्शन 45 छात्रों तक सेक्शन संख्या बढ़ाने के नियम में बदलाव के रूप में नहीं माना जाएगा। स्कूलों को प्रति सेक्शन 45 छात्रों की इस अनुमति का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से जूनियर कक्षाओं से दाखिले को विनियमित करते हुए अगले 3 वर्षों (सत्र 2023-24, 2024-2025 और 2025-2026) में प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र प्रति सेक्शन तक सेक्शन संख्या पुन: संरेखित हो।
- बोर्ड द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न किए जाने की जिम्मेदारी केवल स्कूल की होगी और इसके द्वारा जारी निर्देशों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

हस्ता/-
(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

वितरण:-

1. सीबीएसई से संबद्ध स्वतंत्र श्रेणी के विद्यालयों के सभी प्रबंधक/प्रधानाचार्य।
2. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद-जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली 110016।
3. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
4. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054।
5. जन अनुदेशन निदेशक (स्कूल), संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर 09, चंडीगढ़ 160017
6. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम 737101।
7. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर 791111।
8. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर 744101।
9. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी शिक्षा सचिव।
10. अध्यक्ष, सीबीएसई के उप सचिव- अध्यक्ष को सूचनार्थ।
11. सीबीएसई के सभी विभागाध्यक्ष।
12. संयुक्त सचिव (प्रशा व विधि), सीबीएसई।
13. संयुक्त सचिव (संबद्धता), सीबीएसई
14. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/क्षेत्रीय अधिकारियों/सीओई प्रमुखों को सूचना को और अधिक प्रसारित करने के अनुरोध के साथ।
15. सहायक सचिव (आईटी), सीबीएसई, प्रीत विहार, दिल्ली-92- सभी हितधारकों की जानकारी के लिए परिपत्र को मुख्य पृष्ठ के साथ-साथ सरस पोर्टल पर भी अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

हस्ता/-
(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक